


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2016/माघ 12, 1937

No. 267]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2016/MAGHA 12, 1937

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016

का.आ. 297(अ).—केन्द्र सरकार, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान अधिनियम, 1993 की उप-धारा-11(ख) और 15(1) (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान के शासी बोर्ड और शैक्षणिक समिति में एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करती है:-

धारा 11 (ख) के अंतर्गत शासी बोर्ड में नामित सदस्य

1. श्री बालगोपालन
2. सुश्री चित्रा विश्वेश्वरण

उप-धारा 15 (1) (ग) के अंतर्गत शैक्षणिक समिति में नामित सदस्य

1. श्रीमती लीला वेंकटरमन के स्थान पर प्रोफेसर सी. वी. चन्द्रशेखर
2. श्रीमती चित्रा विश्वेश्वरण के स्थान पर डॉ. पद्म सुब्रमण्यम
2. शासी बोर्ड और शैक्षणिक समिति के सदस्यों का कार्यकाल कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान अधिनियम, 1993 की क्रमशः धारा 12 और उप-धारा 15 (2) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

[फा.सं.एफ.11-14/2008-अकादमी]

संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th January, 2016

S.O. 297(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections 11(b) and 15(1) (c) of the Kalakshetra Foundation Act, 1993, the Central Government hereby makes the following nominations to the Governing Board and the Academic Committee of the Kalakshetra Foundation, Chennai: -

Members nominated to the Governing Board under Section 11 (b)

1. Shri. Balagopalan
2. Ms. Chitra Vishweshwaran

Members nominated to the Academic Committee under sub-section 15 (1)(c)

1. Prof. C.V. Chandrasekhar in place of Smt. Leela Venkatraman
 2. Dr. Padma Subramaniam in place of Smt. Chitra Vishweshwaran
2. The term of the members of the Governing Board and the Academic Committee shall be governed by the section 12 and sub-section 15(2) respectively of the Kalakshetra Foundation Act, 1993.

[No. F. 11-14/2008-Akademies]

SANJIV MITTAL, Jt. Secy.